न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर ए एस

प्रकरण संख्या 106 / 2023

गुरदेवसिह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

– प्रार्थी–

बनाम

1. अग्रेंजसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25/6/24

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मार्फत अधिवक्ता श्री मदनलाल पारीक प्रस्तुत द्वारा यह प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पता उक्त प्रार्थना पत्र के शिर्षक में अंकितानुसार है। प्रार्थी गुरदेवसिंह के नाम से चक 10 पीबीएन–ए के प.न. 36 / 291 (4) किला नं. 21 ता 24 की 1.012 हैक नहरी भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 10 पीबीएन–ए संवत् 2076 से 2079 व संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 अग्रेंजसिंह के नाम से चक 10 पीबीएन–ए के प.न. 36 / 292 (10) किला नं. 1 ता 25 / 2 की 6.325 हैक. नहरी मय खाला भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की भुमि के किला नं. 21 के पश्चिम दक्षिण दिशा में व अप्रार्थी की भुमि के चिपते ही प.न. 36 / 292 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम दिशा के मुरब्बा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि प.न. 36 / 291 के किला नं. 21 ता 24 में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित इस स्वीकृत रास्ता के किला नं. 5 से होकर अप्रार्थी की भुमि के किला नं. 1 उतर पश्चिम कोने से 0.0006 हैक् भुमि मे से अपने किला नं. 21 में प्रवेश करता है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित प्रशनगत रास्ता प.न. 36 / 292 किला नं. 1 के अलावा प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भुमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता वर्षो से चालु है और मौके पर भी चालु है प्रार्थी इसी किला नं. 1 के रास्ता से वर्षो से अपनी भुमि में आना जाना करता है अप्रार्थी सं. 1 ने घरू तौर पर किला नं. 1 व 2 में रास्ता चालु कर रखा है जो किला नं. 3 तक जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को असुविधा होती है अप्रार्थी ने कुछ समय पहले तारबन्दी कर इस रास्ता को अवरूद्ध कर दिया था अब यह तारबन्दी हटा दी है मौके पर रास्ता चालु है। प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। इस रास्ता के बदले प्रार्थी डी.एल.सी दर पर अप्रार्थी को राशि अदा करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भुमि चक 10 पीबीएन–ए के प.न. 36 / 291 (4) किला

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न. 21 के दक्षिण दिशा के विपते ही अप्रार्थी की भुमि के प.न. 36/292 (10) किला नं. 1 के उत्तर पश्चिम दिशा मे 0.0006 हैव. रास्ता (8गुणा8 फुट) स्वीकृत फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पत्र यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी स. 1 की कृषि भूमि मे कोई रास्ता चालू नही है, यह कथन पूर्णत्या असत्य मनगढंत अविधिक है जिसमे प्रार्थी द्वारा यह कहा गया है कि मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 10 पी.बी. एन–ए के प.न. 36/292 के किला न. 1, 10, 11,20,21 के पश्चिमी दिशा के मुरब्बा में स्वीकृत व चालू रास्ता है जबकि इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य पेश नही किया गया है। उसके बाद अप्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त रास्ता जो कि किला न. 5, 6, 15, 16, 25 मे है, जबकि इस सम्बंध में यह नही बताया गया कि यह 5, 6, 15, 16, 25 किला न. किस प.न. व किस चक मे पडते है, अर्थात केवल माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतू पूर्व से ही रास्ता की सुविधा है, प्रार्थी के मन में बदनियती पैदा हो जाने के कारण व मिन अप्रार्थी को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने की नियत से केवल मनगढंत तथ्यो पर आधारित तथ्य पेश किये है तथा अपने मन मुताबिक बिना किसी तथ्य व अधार के बिना किसी अधिकृत संस्था के उक्त नजरी नक्शा माननीय न्यायालय मे पेश किया है, उक्त नजरी नक्शा किसी भी राजस्व रिकार्ड से सम्बधित अधिकारी द्वारा नही बनाया गया है, जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यत्रं लाने व ले जाने हेतू चक 10 पी.बी.एन–ए के प.न. 36/291 के मलकीत सिह जगदीश सिंह शिवराज उर्फ सवराज सिह पुत्र नक्षत्र सिहं, लक्षमण राज सिह पि. गुरदयाल सिहं के किला न. 1 ता 5 पूर्व से पश्चिम 2 – 2 बिस्वा रास्ता तथा किला न. 1, 10, 11, 20 उतर से दक्षिण 2 – 2 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही चल रहा है जो प्रार्थी की कृषि भूमि के किला न. 21 तक आ जाता है, प्रार्थी उक्त रास्ता का ही हमेशा से अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उपयोग करता है तथा इसी से अपने कृषि यंत्र लाता ले जाता है मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से जो रास्ता मांगा गया है वह न तो पूर्व में कभी चला है, और न ही वर्तमान में ऐसा रास्ता चल रहा है न ही किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी, मिन अप्रार्थी से आये दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद करता रहता है तथा बेवजह रंजिश रखता है इस कारण केवल मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यत्रं लाने व ले जाने हेतू चक 10 पी.बी.एन–ए के प.न. 36/291 के शिवराज उर्फ सवराज सिह पुत्र नक्षत्र सिहं, लक्षमण अंगरेज मिघ मलकीत सिह जगदीश सिह राज सिह पि. गुरदयाल सिहं के किला न. 1 ता 5 पूर्व से पश्चिम 2 दृ 2 बिस्वा रास्ता तथा किला न. 1, 10, 11, 20 उतर से दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही चल रहा है जो प्रार्थी की कृषि भूमि के किला न. 21 तक आ जाता है, प्रार्थी उक्त रास्ता का ही हमेशा से अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उपयोग करता है तथा इसी से अपने कृषि यंत्र लाता ले जाता है मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से जो रास्ता मांगा गया है वह न तो पूर्व में कभी चला है, और न ही वर्तमान में ऐसा रास्ता चल रहा है न ही किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी, मिन अप्रार्थी से आये दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद करता रहता है तथा बेवजह रंजिश रखता है इस कारण केवल मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, शेष कथन पूर्णत्या असत्य व मनगढंत होने से पूर्ण रूप से अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा अंकित किये

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गये तथ्यो की जांच हेतू माननीय तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से रिपोर्ट भी मंगवाई जा सकती है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन कानूनी है। अत जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी तथ्य व आधार के पेश होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक क्रमांकः–रीडर/2024/12–56 दिनांक 14.05.2024 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के समस्त काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये से कम दूरी का रास्ता स्वीकृत या चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं है। व प्रकरण में स्थिति सपष्ट हेतु मौका पर जाकर दिनांक 18.06.24 को भू.अभिलेख निरीक्षक लिखमीसर एवं पटवारी के साथ मौका निरिक्षण किया गया जिसमें मौका पर सुविधा की दृष्टि से कम दूरी का रास्ता होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना–पत्र और तहसीलदार रिपोर्ट व मौका का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2024/12–56 दिनांक 14.05.2024 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी की भुमि चक 10 पीबीएन–ए के प.न. 36/291 (4) किला नं. 21 के दक्षिण दिशा के चिपते ही अप्रार्थी की भुमि के प.न. 36/292 (10) किला नं. 1 के उतर पश्चिम दिशा में 0.0006 हैक. रास्ता(8गुणा8 फुट) स्वीकृत किया जाता है। तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 25/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा